राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 05] पन्द्रहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का उन्यासीवां दिवस [संख्या: 04

शनिवार,

31 अक्टूबर 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित यामिनीम्।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्।
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष: सचिव।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव, विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा के वर्तमान सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

1. राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020
2. राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020
3. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020

2] सदन पटल पर रखे गये पत्र-31 अक्टूबर 2020-विधेयक का पुर:स्थापन

(श्री सचिव, विधान सभा)

4. राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2020
5. राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020
6. राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020
7. राजस्थान महामारी विधेयक, 2020
8. राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020
9. राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020
10. राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2020
11. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020
12. राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020
13. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य, पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री लालचन्द कटारिया।

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, नागालैण्ड एवं मणिपुर के पूर्व राज्यपाल डा. अश्विनी कुमार; गुजरात के पूर्व मुख्य मंत्री श्री केशुभाई पटेल; असम की पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती सैयदा अनवरा तैमूर; पूर्व

(श्री अध्यक्ष)

सांसद श्री जसवन्त सिंह; डा. हरिसिंह एवं श्री राधाकृष्ण बिरला, इस सदन के सदस्य श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी; पूर्व मंत्री श्रीमती जकिया तथा पूर्व सदस्य श्री हीरालाल मीणा; श्री शिवसिंह एवं श्री रामेश्वर भारद्वाज के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

प्रणब मुखर्जी, श्री, पूर्व राष्ट्रपति

भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसम्बर, 1935 को पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले में मिराती ग्राम में हुआ। आपने कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास एवं राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर तथा विधि में स्नातक उपाधि प्राप्त की।

श्री प्रणब मुखर्जी पांच बार राज्य सभा तथा दो बार लोक सभा के सांसद रहे। संसद के कार्यकाल के दौरान आप कई संसदीय समितियों के सदस्य एवं सभापति रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव वाले श्री मुखर्जी राज्य सभा में कांग्रेस पार्टी के उप नेता एवं मुख्य सचेतक तथा सदन के नेता रहे। आप जून, 2004 से जून, 2012 तक लोक सभा में भी सदन के नेता रहे। राजनीतिक विषयों में प्रवीण श्री मुखर्जी 25 जुलाई, 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। आप इस पद पर 25 जुलाई, 2017 तक आसीन रहे।

कुशल प्रशासक रहे श्री मुखर्जी भारत सरकार में उप मंत्री, राज्य मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री रहे। वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री एवं वाणिज्य मंत्री के रूप में कार्य करते हुए आपने प्रशासनिक सुधार, सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मैट्रो रेल की स्थापना जैसे विषयों पर इस उद्देश्य के लिए गठित 95 से अधिक मंत्री समूहों की अध्यक्षता करते हुए सार्थक निर्णय लेने में अग्रणी भूमिका निभाई।

आप जून, 1991 से मई, 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। आपने केन्द्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का संशोधित गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला भी तैयार किया।

व्यापक राजनयिक अनुभव के धनी श्री मुखर्जी अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के संचालक मंडलों में रहे। आपने अनेक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों एवं सेमिनार्स में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। ओजस्वी वक्ता एवं प्रखर विद्वान श्री मुखर्जी के बौद्धिक तथा राजनीतिक कौशल, अन्तरराष्ट्रीय संबंधों, वित्तीय कार्यकलापों एवं संसदीय प्रक्रियाओं के विषय में गहन ज्ञान की सर्वत्र सराहना की जाती है।

(श्री अध्यक्ष)

यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस सदन के सदस्यों ने भी दिनांक 01 अगस्त, 2019 को इसी सभागार में आयोजित सेमिनार में उनके अनुभवों का लाभ लिया है। विलक्षण अध्यवसायी रहे श्री मुखर्जी की भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर 'बियोंड सर्वाइवल: एमर्जिंग डाइमेंशन्स आफ इंडियन इकोनोमी', 'चैलेंजेज बिफोर द नेशन', 'थोट्स एंड रिफ्लैक्शन्स' एवं 'द टर्बुलैण्ट ईयर्स: 1980-1996' जैसी कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी 'प्रणब दा' दलीय सीमाओं से ऊपर थे जिसके कारण सभी राजनीतिक दलों के नेता उनका सम्मान करते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री मुखर्जी को बहुत से सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। सरकार और संसद में आपकी स्पृहणीय एवं समर्पित सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2008 में पद्म विभूषण तथा वर्ष 2019 में भारत के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। आपको वर्ष 1997 में सर्वोत्तम सांसद पुरस्कार तथा वर्ष 2011 में भारत में सर्वोत्तम प्रशासक का पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको देश-विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डाक्टरेट की उपाधियां प्रदान की गयीं।

श्री प्रणब मुखर्जी का दिनांक 31 अगस्त, 2020 को निधन हो गया। श्री मुखर्जी के निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई है।

अश्विनी कुमार, डा., पूर्व राज्यपाल (नागालैंड व मणिपुर)

नागालैण्ड तथा मणिपुर के पूर्व राज्यपाल डॉ. अश्विनी कुमार का जन्म 15 नवम्बर, 1950 को हिमाचल प्रदेश के नाहन में हुआ। आपने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत एम.बी.ए. तथा पीएच.डी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

डा. अश्विनी कुमार वर्ष 1973 में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए तथा विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दीं। आपने प्रधान मंत्री कार्यालय में सहायक निदेशक के पद पर भी कार्य किया। एसपीजी में अपनी सेवाएं देने वाले डा. अश्विनी कुमार हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा सीबीआई के निदेशक भी रहे। उत्कृष्ट सराहनीय सेवाओं के लिए आपको वर्ष 1989 में भारतीय पुलिस पदक तथा वर्ष 1999 में राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।

कुशल प्रशासक रहे डा. अश्विनी कुमार मार्च, 2013 से जून, 2014

(श्री अध्यक्ष)

तक नागालैण्ड के राज्यपाल रहे। इसी दौरान जुलाई, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक मणिपुर के राज्यपाल का कार्यभार भी आपके पास रहा।

डा. अश्विनी कुमार का दिनांक 7 अक्टूबर, 2020 को निधन हो गया।

केशुभाई पटेल, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री (गुजरात)

गुजरात के पूर्व मुख्य मंत्री श्री केशुभाई पटेल का जन्म 28 फरवरी, 1928 को राजकोट में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री केशुभाई पटेल लगभग तीन दशकों तक गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे। आप गुजरात विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। श्री पटेल मार्च, 1995 से अक्टूबर, 1995 तथा मार्च, 1998 से अक्टूबर, 2001 तक दो बार गुजरात के मुख्य मंत्री रहे। आप छठी लोक सभा के लिए हुए चुनाव में राजकोट निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। दीर्घ संसदीय अनुभव वाले श्री पटेल वर्ष 2002 से 2008 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

जन-कल्याण को समर्पित श्री पटेल राजकोट नगरपालिका सदस्य एवं नेता प्रतिपक्ष भी रहे। अनेक कृषि संस्थानों से सम्बद्ध रहे श्री पटेल श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे।

श्री केशुभाई पटेल का दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 को निधन हो गया।

सैयदा अनवरा तैमूर, श्रीमती, पूर्व मुख्य मंत्री (असम)

असम की पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती सैयदा अनवरा तैमूर का जन्म 24 नवम्बर, 1936 को असम के जोरहाट में हुआ। आपने बीए. (आनर्स) तथा अर्थशास्त्र में एम.ए. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्रीमती सैयदा अनवरा तैमूर चार बार असम विधान सभा की सदस्य रहीं। श्रीमती तैमूर दिसम्बर, 1980 से जून, 1981 तक असम की पहली महिला मुख्य मंत्री बनीं। आप असम सरकार में शिक्षा, कृषि, हज तथा वक्फ सम्पत्ति विभाग की मंत्री भी रहीं। आप दो बार राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुईं तथा विभिन्न समितियों की सदस्य तथा सभापति भी रहीं।

कांग्रेस से सम्बद्ध रहीं श्रीमती तैमूर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रयासरत रहीं। श्रीमती तैमूर ने कई महिला सहकारी समितियों एवं स्टोर्स की स्थापना कर उनके लिए डेयरी, मुर्गीपालन एवं उद्यानिकी इत्यादि के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की। आपने वर्ष 1962 एवं 1965 के युद्ध पीड़ितों की सहायता एवं उनके पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(श्री अध्यक्ष)

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए समर्पित रहीं श्रीमती तैमूर विभिन्न हज समितियों की सदस्य रहीं। आप नेशनल पैट्रोकेमिकल कारपोरेशन की निदेशक तथा राज्य लघु बचत सलाहकार बोर्ड, राज्य सामाजिक कल्याण बोर्ड, असम की सदस्य भी रहीं।

श्रीमती सैयदा अनवरा तैमूर का दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को निधन हो गया।

जसवंत सिंह, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री जसवन्त सिंह का जन्म 3 जनवरी, 1938 को बाड़मेर जिले के जसोल ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. एवं बी.एससी. की उपाधियां प्राप्त कीं। आपने एनडीए खड़कवासला एवं इंडियन मिलिटरी एकेडमी, देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

श्री जसवंत सिंह पांच बार राज्य सभा तथा चार बार लोक सभा के सदस्य रहे। तीन दशकों से अधिक का संसदीय अनुभव रखने वाले श्री सिंह संसद की विभिन्न समितियों के सदस्य एवं सभापति रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री सिंह केन्द्र सरकार में वित्त, रक्षा, भूतल यातायात, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्पनी मामलात एवं विदेश मामलात मंत्रालयों के मंत्री रहे। रक्षा, वित्त एवं विदेश मामलों में आपने महत्वपूर्ण निर्णय लिये। आप योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे।

भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने वाले श्री सिंह के व्यक्तित्व पर सैन्य अनुशासन की छाप नजर आती थी। सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री सिंह ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय योगदान के लिए एक फाउण्डेशन की स्थापना की। आपने इसके माध्यम से बाड़मेर तथा जैसलमेर जिले में एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराईं। आपने क्षेत्र की प्राचीन स्थानीय भाषा 'डिंगल' को प्रोत्साहन देने और प्रसारित करने के लिए भी एक फाउण्डेशन की स्थापना की।

अध्ययन में रूचि रखने वाले श्री सिंह की 'नेशनल सिक्यूरिटी-एन आउटलाइन आफ आवर कन्सर्न्स', 'डिफेन्डिंग इंडिया', 'ए काल टू ऑनर - इन सर्विस आफ इमर्जेन्ट इंडिया', 'कानफ्लिक्ट एंड डिप्लोमेसी' तथा 'जिन्ना - इंडिया-पार्टिशन-इंडिपेंडेंस' सहित कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं। आपके विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में अनेक आलेख भी प्रकाशित हुए।

(श्री अध्यक्ष)

खेलकूद में रुचि रखने वाले श्री सिंह इंडियन पोलो एसोसिएशन तथा दिल्ली गोल्फ क्लब सहित कई खेल संस्थानों से सम्बद्ध रहे।

श्री जसवन्त सिंह का लम्बी बीमारी के बाद दिनांक 27 सितम्बर, 2020 को निधन हो गया।

हरिसिंह डा., पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री

पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री डा. हरिसिंह का जन्म 6 जुलाई, 1935 को झुंझुनूं जिले के कैरू ग्राम में हुआ। आपने एम्बी.बी.एस. एवं एफ.आर.सी.एस. की उपाधियां प्राप्त कीं। आपने कार्डियो थोरेसिक सर्जरी का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था।

डा. हरिसिंह छठी, सातवीं, नौवीं एवं दसवीं राजस्थान विधान सभा में फुलेरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप छठी विधान सभा में जनता पार्टी, सातवीं एवं नौवीं विधान सभा में कांग्रेस (आई) तथा दसवीं विधान सभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। डा. हरिसिंह जन-स्वास्थ्य, भूजल तथा यातायात विभाग के मंत्री भी रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, नियम समिति तथा प्राक्कलन समिति 'क' के सदस्य रहे। डा. हरिसिंह 11वीं लोक सभा में भी सदस्य रहे।

चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े डा. हरिसिंह सर्जरी के एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में आपके चिकित्सा संबंधी कई आलेख प्रकाशित हुए। आप राज्य स्तरीय अन्तरराष्ट्रीय विशेष योग्यजन समिति के सदस्य भी रहे।

डा. हरिसिंह का दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को निधन हो गया।

राधाकृष्ण बिरला, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री राधाकृष्ण बिरला का जन्म 30 मार्च, 1913 को झुंझुनूं जिले के पिलानी में हुआ। आपने सिटी एंड गिल्ड आफ लंदन इंस्टीट्यूट आफ टैक्सटाइल्स से डिप्लोमा किया।

श्री राधाकृष्ण बिरला चौथी लोक सभा में झुंझुनूं निर्वाचन क्षेत्र से आई.पी.जी. के सांसद निर्वाचित हुए। उद्योगपति रहे श्री बिरला इंडियन वूलन मिल्स फैडरेशन, डवलपमेंट कौंसिल फार वूलन इंडस्ट्री, वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल तथा वूलन यार्न डिस्ट्रीब्यूशन समिति के सभापति रहे। आप भारत सरकार में टैक्सटाइल कमिश्नर के सलाहकार भी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री बिरला समाज में अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीति को हटाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। आपकी 'काटन स्पिनिंग ब्लो रूम सैक्शन' तथा 'रूई की कताई' शीर्षक से पुस्तकें प्रकाशित हुई।

श्री राधाकृष्ण बिरला अब हमारे बीच नहीं रहे।

कैलाश चन्द्र त्रिवेदी, श्री, सदस्य

इस सदन में हमारे साथी विधायक श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी का जन्म 26 जनवरी,1955 को भीलवाड़ा के रायपुर में हुआ। आपने विद्या भवन, उदयपुर से हैण्डीक्राफ्ट में डिप्लोमा किया।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी बारहवीं, तेरहवीं तथा वर्तमान पन्द्रहवीं विधान सभा के लिए सहाड़ा निवार्चन क्षेत्र से इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति तथा याचिका समिति के सदस्य रहे। आप सदन तथा विधान सभा की समितियों के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे।

श्री त्रिवेदी वर्ष 1988 से 1991 तक पंचायत समिति, रायपुर के प्रधान रहे। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित रहे श्री त्रिवेदी ने इंटक श्रमिक यूनियन की स्थापना में सक्रिय योगदान दिया। प्राइवेट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे श्री त्रिवेदी ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में वरिष्ठ निरीक्षक (सिविल) के पद पर भी कार्य किया।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी का दिनांक 06 अक्टूबर, 2020 को निधन हो गया।

जकिया, श्रीमती, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री श्रीमती जकिया का जन्म 07 जुलाई, 1949 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ। आपने एमएससी की उपाधि प्राप्त की।

श्रीमती जकिया आठवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवीं राजस्थान विधान सभा में टोंक निर्वाचन क्षेत्र से इण्डियन नेशनल कांग्रेस की विधायक रहीं। आप शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विधि, परिवार कल्याण, श्रम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, बाल पोषाहार एवं महिला कल्याण विभाग की राज्य मंत्री रहीं। श्रीमती जकिया महिला एवं बाल विकास, नीति निर्धारण, जन अभाव

(श्री अध्यक्ष)

अभियोग निराकरण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की मंत्री भी रहीं। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति की सदस्य तथा राजकीय उपक्रम समिति की सभापति रहीं।

समाज सेवा में रुचि रखने वाली श्रीमती जकिया को उर्दू, फारसी एवं अरबी भाषाओं का भी ज्ञान था।

श्रीमती जकिया का दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को निधन हो गया।

हीरालाल मीणा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री हीरालाल मीणा का जन्म 21 अगस्त, 1940 को सवाई माधोपुर ज़िले के उद्गांव में हुआ। आपने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री हीरालाल मीणा नौवीं, दसवीं तथा बारहवीं राजस्थान विधान सभा में बामनवास निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप नौवीं विधान सभा में कांग्रेस (आई), दसवीं विधान सभा में इण्डियन नेशनल कांग्रेस तथा बारहवीं विधान सभा में निर्दलीय विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, याचिका समिति तथा अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री मीणा लगभग 25 वर्षों तक ग्राम पंचायत उद्गांव के सरपंच रहे। आप पंचायत समिति बौंली के उप प्रधान तथा ग्राम सेवा सहकारी समिति, गोतोड़ के कोषाध्यक्ष भी रहे।

श्री हीरालाल मीणा का दिनांक 23 अगस्त, 2020 को निधन हो गया।

शिवसिंह, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री शिवसिंह का जन्म 30 मई, 1933 को राजसमन्द ज़िले के कोटड़ी ग्राम में हुआ। आपने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री शिवसिंह ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में मावली निर्वाचन क्षेत्र से इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री शिवसिंह ग्राम पंचायत काबरा तथा दो बार ग्राम पंचायत कोटड़ी के सरपंच रहे। आप पंचायत समिति रेलमगरा के उप प्रधान तथा प्रधान भी रहे। श्री सिंह उदयपुर जिला परिषद् की स्थायी समिति

(श्री अध्यक्ष)

के सदस्य रहे। सहकार में रुचि रखने वाले श्री सिंह कोटड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति कांकरोली के अध्यक्ष रहे। आप संजीवनी क्रय-विक्रय गृह समिति के संचालक मण्डल के सदस्य तथा उदयपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के संचालक भी रहे।

श्री शिवसिंह का दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 को निधन हो गया।

रामेश्वर भारद्वाज, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री रामेश्वर भारद्वाज का जन्म 29 दिसम्बर, 1935 को अलवर ज़िले के थानागाजी में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री रामेश्वर भारद्वाज नौवीं तथा दसवीं राजस्थान विधान सभा में किशनपोल निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति तथा जन लेखा समिति के सदस्य रहे।

सरल व्यक्तित्व के धनी श्री भारद्वाज गरीब एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान तथा समाज सेवा के लिए समर्पित रहे। आपने मूर्तिकारों की दशा सुधारने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया।

श्री रामेश्वर भारद्वाज का दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

कोटा जिले के गोठड़ा ग्राम के पास चम्बल नदी हादसे के मृतक

दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को कोटा ज़िले के खातोली क्षेत्र के गोठड़ा ग्राम के पास चम्बल नदी में नाव पलट गयी। इस हृदय विदारक दुर्घटना में लगभग 13 लोगों की मृत्यु हो गयी। यह सदन इस दुर्घटना में मारे गये लोगों के प्रति शोक प्रकट करता है।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनंतर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई)

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 02 नवम्बर 2020 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 11.25 बजे सोमवार, दिनांक 02 नवम्बर 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)